न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 30/14/अपील

शकुन्तला वर्मा धर्मपत्नी श्री सुनील कुमार वर्मा आयु 48 साल जाति कुमावत निवासी केसोटा वाली ढाणी (जलिन्द्रा की ढाणी) तन ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलार्थीनी

बनाम

1. ग्राम पंचायत, सुजावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, सुजावास पं.स. पिपराली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
3. महावीर पुत्रश्री हरजीराम जाति कुमावत निवासी भोजा की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–रेस्पोंडेटस

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 131 दिनांक 23.01.2007

बतस्दीक ग्राम पंचायत, सुजावास

उपस्थिति– 1. श्री रेखराज पारीक वकील अपीलार्थीनी की ओर से

2. श्री नरेश पारीक वकील रेस्पो. सं. 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक– 14.03.2015

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नं. 248/1 ग्राम गौरिया प.मं. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है जिसमें अपीलार्थीनी का 1000/6600 है0 की खातेदारी काश्तकारी है। खसरा नं. 248/1 रकबा 0.66 है0 के पूर्व खातेदार रेस्पो. सं. 3 के हिस्से 6051/6600 में से 0.10 है0 भूमि का अपीलार्थीनी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 21.014.2006 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। अपीलार्थीनी ने अपने हक में हुए विक्रय पत्र से स्वयं के हक में ना.करण सं0 131 तस्दीक किया गया। उक्त ना.करण सं. 131 में पटवारी पटवार हल्का सुजावास ने सहवन से अपीलार्थीनी का हिस्सा 10/6600 भरा गया, जबकि उक्त ना.करण में 1000/6600 भरा जाना चाहिए था। उक्त ना.करण में पूर्व खातेदार रेस्पो. सं. 3 का हिस्सा जमाबंदी अनुसार 6051/6600 में अपीलार्थीनी का हिस्सा निकाल कर बाकी 5051/6600 तो कर दिया परन्तु अपीलार्थीनी का 1000/6600 कुल की 10/6600 ही दर्ज कर दिया जो कि ना.करण में गलत अंकन होने से जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 में अपीलार्थीनी की खातेदारी 10/6600 ही दर्ज हुई जबकि अपीलार्थीनी की खातेदारी 1000/6600 दर्ज होनी चाहिए थी। इस कारण उक्त ना.करण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त ना.करण विरूद्ध पत्रावली एवं विधि के होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ना.करण तस्दीक करने से पूव्र कब्जे की जांच नहीं कर भरा गया ना.करण है। उक्त ना.करण तस्दीक करने से पूर्व दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना यानि विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2006 का अवलोकन किये बिना ही भरा गया ना.करण प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अपील की मद सं. 1 में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

भूमि में अपीलार्थी का स्वीकृत रूप से 1000/6600 हक व हिस्सा है एवं उसी अनुरूप कब्जा काश्त है एवं पूर्व खातेदार से उक्त भूमि 0.10 है0 खरीद में से अपीलार्थीनी उक्त में से 1000/6600 की खातेदार है। सहवन से उक्त भूमि की जमाबंदी में 10/6600 ही दर्ज हो गयी। अगर रेस्पो. उक्त गलत अंकन की आड़ में अपीलार्थीनी के हिस्से 1000/6600 में से भूमि को विक्रय कर देने से या अन्य रूप से हस्तांतरण कर देने से अपीलार्थीनी के हितों पर कुठाराघात होगा ओर अपीलार्थीनी को बेदखल करने पर उतारू हो जायेंगे। इसलिए यह अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ। उक्त ना.करण सं. 131 दिनांक 23.014.2007 की नकल दिनांक 14.08.2014 को प्राप्त होने से अपील अंदर मियाद है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 131 दिनांक 23.01.2007 बतस्दीक ग्राम पंचायत, सुजावास को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स 1, 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 3 की ओर से वकील श्री नरेश पारीक हाजिर हुए।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील अपीलार्थीनी ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाधीन ना.करण सं. 131 दिनांक 23.01.07 द्वारा ग्राम पंचायत, सुजावास तहसील दांतारामगढ को निरस्त फरमाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील रेस्पो. ने कथन किया कि विक्रय की गई भूमि का ना. करण सही भरा जाने में कोई आपति नहीं है।

4. हमने वकील अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2006 महावीर प्रसाद बहक शकुन्तला वर्मा ग्राम गौरिया प.मं. श्यामपुरा की भूमि खसरा नं0 248/1 रकबा 0.66 है0 में विक्रय कर्ता का हि. 63/66 में से 0.10 है0 का बेचान किये जाने पर ना.करण सं0 131 दिनांक 23.01.2007 ग्राम पंचायत, सुजावास द्वारा तस्दीक किया गया। ना.करण के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2006 के अनुसार केत्री शकुन्तला देवी वर्मा के हिस्से में 10/6600 हि. दर्ज किया गया एवं शेष रकबा 5051/6600 विक्रेता महावीर प्रसाद के नाम दर्ज किया गया जबकि केत्री शकुन्तला देवी वर्मा के 1000/6600 हि. दर्ज किया जाना चाहिए। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीनी स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर विवादित ना.करण सं. 131 दिनांक 27.01.2007 बतस्दीक ग्राम पंचायत, सुजावास खारिज किया जाता है एवं प्रकरण उप तहसीलदार, पलसाना को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2006 बहक शकुन्तलादेवी वर्मा पुनः नियमानुसार ना.करण भरवाकर तस्दीक करें।

5. यह आदेश आज दिनांक 14.03.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned with CamScanner